आवंटन/नीलामी तिथि
29.07.2017
प्रातः 11:00 बजे

परिषद के मेरठ जोन के अन्तर्गत मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर तथा खतौली में आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों का आवंटन /नीलामी

आवंटन/नीलामी स्थल : सभागार कक्ष, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर–16 ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद

आवंटन से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियां

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)	वर्तमान आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	अनुमानित मूल्य (रू.में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि (रू.में)
माधवपुरम, योजना संख्या–10, मेरठ, सेक्टर–4, (45 नग) नवविकसित भूखण्ड					
80 वर्ग मी. तक	4/87, 4/88, 4/89, 4/90,	25.20 से 42.00 व.मी.	14560.00 से 16016 तक	3.66 से 6.73 तक	18500
	4/91, 4/92, 4/93, 4/94, 4/95, 4/96, 4/97, 4/97, 4/98, 4/99, 4/100, 4/101, 4/102, 4/103, 4/104, 4/105, 4/106, 4/106/1, 4/106/2 (C), 4/138 (C), 4/139, 4/140, 4/141, 4/142, 4/143, 4/144, 4/145, 4/146/, 4/147, 4/148, 4/149, 4/149, 4/150, 4/151, 4/152, 4/153, 4/154, 4/155, 4/156, 4/157, 4/158/ 4/159, 4/159/ 1 (C)					

नोट : माधवपुरम योजना संख्या, 10 मेरठ में 45 नग नव विकसित आवासीय भूखण्ड आफर से प्राप्त हुये है, जिसका आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा तथा परिषद/शासनादेश के अनुसार नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियां

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)	वर्तमान आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	अनुमानित मूल्य (रू.में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि
शास्त्रीनगर योजना संख्या–3, मेरठ, आवासीय भूखण्ड (01 नग)					
80 व.मी. से अधिक	एल–685 (GEN)	642.12	23520.00	15102662	1510266

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियां

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी.में)	भूमि दर (प्र.व.मी)	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी (रु. लाख में)
मंगलपाण्डे नगर, योजना संख्या–1, मेरठ				
कन्वेशन सेन्टर	4011.25	78848	316279040	31627904
सेक्टर–1 (01 नग) 2/2 (कार्नर)				
मंगलपाण्डे नगर, योजना संख्या–1, मेरठ : व्यावसायिक भूखण्ड सेक्टर–1 (08 नग)				
CP 473, CP 475, CP 477, CP 481,	199.87 से 388.50	71680.00 से 78848.00	14612685.00 से 27847680.00	1461268.00 से 2784768.00
CP SS -1 (GEN) (C), CP SS-2 (GEN), CP SS-3 (GEN), CP SS-4 (GEN) (C)				
मंगलपाण्डे नगर, योजना संख्या–1, मेरठ : नव विकसित व्यावसायिक भूखण्ड सेक्टर–2 (03 नग)				
SCP-2/1 (GEN)	48.24	71680.00	3457843.00	345784.00
SCP-2/2 (GEN)	45.15	71680.00	3236352.00	323635.00
SCP-2/3 (GEN)	56.61	71680.00	4057805.00	405780.00
ट्रांसपोर्ट नगर, योजना संख्या–2, मेरठ : व्यावसायिक भूखण्ड (01 नग)				
A-94	315.19	31360.00	9884358.00	988436.00
शास्त्री नगर, योजना संख्या–3, मेरठ : व्यावसायिक भूखण्ड आई तथा एल ब्लाक (02नग)				
सीपीएल 1001, सीपीएल 1002, आई.एस. 116,	77.76 से 461.25	47040.00 से 51744.00	4023613.00 से 23866920	402361.00 से 2386692.00
आई.एस. 116/2, आई.एस. 132 (कार्नर), आई.एस. 183, आई.एस. 184, एल–1185/2 (Corner)				
उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., ग्राण्डड कवरेज प्रतिशत उपविधि अनुसार तथा अधिकतम ऊँचाई 1.50 मी. होगी।				
शास्त्रीनगर योजना संख्या–3, मेरठ : दुकानें के–ब्लॉक (12 नग)				
K-1	8.062	--------	1105770.00	110577.00
K-2, 3, 4,10,12,15,16	9.099	--------	1248200.00	124820.00
K-17,18, 22, 25	8.131	--------	1115232.00	111523.00
जागृति विहार योजना संख्या–6, मेरठ व्यावसायिक भूखण्ड (01 नग)				
CP-8 Com-2	1438.56	52872	76059544	7605954
माधवपुरम योजना संख्या–10, मेरठ				
मल्टीप्लेक्स भू. 2/M.P., 01 (C)	7300.00	32052.00	233979600.00	23397960.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड 2/GH-2 (C)	8400.00	21840.00	183456000.00	18345600.00
व्यावसायिक भूखण्ड सेक्टर 3 2CP-1, 2PR-1 (पार्किंग हेतु)	1701.50+ 203.50 =1905.00	32052.00	56327040.00	5632704.00
नर्सिंग होम भूखण्ड से.1 1 NH-01 (C)	374.85	32052.00	12014692.00	1201469.00
माधवपुरम योजना संख्या–10, मेरठ : 80 व.मी. तक से. 1 (10 नग) (नवविकसित व्यावसायिक भूखण्ड)				
80 व.मी. तक से. 1	78.00	29120.00	2271360.00	227136
1/CP-6 (GEN), 1/CP-8 (GEN), 1/CP-9 (GEN), 1/CP-10 (GEN), 1/CP-11 (GEN),1/CP-12 (GEN), 1/CP-15 (GEN), 1/CP-16, (GEN), 1 /CP-19 (GEN), 1/CP-20 (GEN)				
माधवपुरम योजना संख्या–10, मेरठ : 100 से 300 वर्ग मी. तक व्यावसायिक भूखण्ड सेक्टर–1 (09 नग)				
1/CP-13 (C) (GEN), 1/CP-17 (C) (GEN),	110.50 से 292.50	29120.00 से 32032.00	3539536.00 से 9369360.00	353954.00 से 936936.00
1/CP-18 (C) (GEN), 1/CP-21 (C)(GEN), 1/CP-14 (C) (GEN), 1/CP-4 (C) (GEN), 1/CP-2 (GEN), 1/CP-3 (GEN), 1/CP-5 (GEN) (C)				
माधवपुरम योजना संख्या–10, मेरठ : 301 वर्गमी. से बड़े व्यावसायिक भूखण्ड सेक्टर–1 (07 नग)				
1/CP-1 (C) (GEN), 1/CP-22 (GEN),	315.70 से 737.10	29120.00 से 32032.00	9207744.00 से 23610787.00	920774.00 से 2381079.00
1/CP-23 (C)(GEN), 1/CP-27 (GEN), 1/CP-24 (C) (GEN), 1/CP-26 (GEN), 1/CP-25 (C)(GEN)				
जागृति विहार योजना संख्या–11, (विस्तार) मेरठ : ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (02 नग)				
2/GH-1 (C) GEN	10400.00	25872.00	269068800.00	26906880.00
2/GH-2 (C) GEN	11000.00	25872.00	284592000.00	28459200.00

नोट : (1) माधवपुरम योजना संख्या–10, मेरठ में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या–2सीपी–1 जिसका क्षेत्रफल 1701.50 वर्गमी. है जिस पर उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा तथा 2पीआर–1 जिसका क्षेत्रफल 203.50 व.मी. है, व्यावसायिक भूखण्ड संख्या–2सीपी–1 के साथ पार्किंग हेतु उपलब्ध है, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियां

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी.में)	भूमि दर (प्र.व.मी)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
अशोक विहार योजना, खतौली				
A-129 (Gen.)	264.00	7840.00	20.70	1.04
चरण विहार योजना बड़ौत, सहारनपुर				
1A-371(SC), 1A-374 (O.B.C.), 1A-375 (O.B.C.)	30.15	20832.00	6.28	0.32

नोट : इन सम्पत्तियों की नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम आरक्षण प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

चरण विहार योजना बड़ौत, सहारनपुर				
दुर्बल आय वर्ग (GEN)	2C-238	40.32	10.41	0.53

नोट : दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु आवेदक की पूर्व वित्तीय वर्ष में वार्षिक आय रु. 1,00,000/– जिसमें उसकी पत्नी व नावालिग बच्चों की आय (यदि कुछ हो) भी सम्मिलित होगी, से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि हेतु आवेदक को अपने प्रार्थना पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम आय प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

शिक्षण संस्थाओं के भूखण्डों जिनका पंजीकरण खोला गया है। (लीज़ पर)

भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का स्तर	क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)	वर्तमान आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	भूखण्ड का कुल मूल्य (रु.लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु.लाख में)
अशोक विहार योजना, खतौली : स्कूल भूखण्ड (लीज पर)					
ASCH-01 (C)	PRIMARY	1001.7	8470.00	84.85	8.49
D/SCH-02 (C)	NURSERY	599.37	8470.00	50.77	5.08

तालिका में उल्लिखित मूल्य पंजीकरण धनराशि के निर्धारण हेतु ही है। आवंटन तिथि/आवंटन पत्र निर्गत तिथि पर लागू भूमि दर के अनुसार विद्यालय को भूखण्ड का मूल्य देना होगा। उक्त आरक्षित भूमि दर में 10 प्रतिशत लीज रेन्ट व 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क शामिल है। पंजीकरण पुस्तिका सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, पुरानी आवास विकास कालोनी, सहारनपुर से रु. 1000/– में क्रय कर विज्ञापन प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र के साथ आवेदन शुल्क रु. 5000/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि **'उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद'**, देयक सहारनपुर के पक्ष में देय हो के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सहारनपुर में जमा करना होगा तथा पात्र आवेदकों को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पंजीकृत डाक द्वारा सूचना, नीलामी तिथि निर्धारित होने पर, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सहारनपुर द्वारा दी जायेगी।

नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियां

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी.में)	भूमि दर (प्र.व.मी)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	टोकन मनी (रु. लाख में)
पठानपुरा योजना संख्या–1 (विवेक नगर), दुकान (कुल 02 नग) सहारनपुर				
S-19 (Gen.)	9.62	-----	5.28	0.53
S-20 (Gen.)	14.196	-----	7.68	0.77

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी.में)	भूमि दर (प्र.व.मी)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	टोकन मनी (रु. लाख में)
शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ योजना संख्या–8), होटल भूखण्ड (01 नग) सहारनपुर				
2A/H-1 (Gen.)Corner	8088.40	27104.00	2192.28	219.23
शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ योजना संख्या–8), व्यावसायिक भूखण्ड, सहारनपुर (07 नग)				
3D/CP-01(SC), CP-02 (SC), CP-03 (Gen.),	321.30 से 511.12 (C)	24640.00 से 27104.00	79.17 से 138.54	7.92 से 13.86
CP-04 (Gen.), CP-05 (Gen.), CP-06 (Gen.), CP-07 (Gen.) (Corner)				
उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 1.75 एवं ग्राण्डड कवरेज 40% तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि अनुसार होगी।				
अशोक विहार योजना, खतौली, सहारनपुर (व्यावसायिक भूखण्ड) (10 नग)				
B.Com-2 O.B.C, B.Com-3 Gen,	78.20 से 882.20(C)	19190.00 से 21110.00	15.07 से 186.24	1.51 से 18.63
B.Com-4 Gen, B.Com-5 Gen, B.Com-6 SC, B.Com-7 O.B.C,B.Com-8 S.C, B.Com-9 Gen, D/Com-01 (Corner), O.B.C, D Com-02 Gen (Corner)				

नीलामी के माध्यम से निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियां

शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ यो.सं.–8), सहारनपुर : 65/200 प्रकार सेमी फिनिश्ड उच्च आय वर्ग भवन (02 नग)				
3D-132, (O.B.C.)	200.00	----	36.69	1.83
3D-135 (Displaced)	200.00	----	36.69	1.83
शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ यो.सं.–8), सहारनपुर : 81/170 वर्ग मी. तक आवासीय भूखण्ड (01 नग)				
3B-135, (Displaced)	243.00	12320.00	29.94	1.50

नोट : आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियों हेतु यदि आरक्षित वर्ग के आवेदकों द्वारा नीलामी में भाग नहीं लिया जाता है, तो सामान्य वर्ग के आवेदक भी आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियों की नीलामी में भाग ले सकते हैं, किन्तु आरक्षित वर्ग का आवेदक यदि इन सम्पत्तियों की नीलामी में भाग ले रहा है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली अनावासीय सम्पत्तियां

भूखण्ड संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	भूखण्डों की सं.	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित दर (रु.) प्र.व.मी.	टोकन धनरशि (रु.)
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद : (अनावासीय सम्पत्तियाँ)				
6/COMM-1D-A, 1D-B, 1DC, 1E (CONER) (GEN)	4	787.75 से 1722.41	109312.00 से 120243.00	8603300.00 से 20710800.00
व्यावसायिक 12 COMM-4C, COMM-1 (C) (O.B.C.)	1	354.04	120243.00	4257100.00
9 COMM-1 (C) (GEN)		3642.00	120243.00	43792500.00
ऑफिस कामर्शियल 3/Office Comm-3 (GEN)	1	808	109312.00	8832500.00
संस्थागत 4/I.N.S.-6 (GEN) 4/I.N.S.-12 (GEN)	2	3657.50 से 40368.31	81984.00 से 90182.00	29985700.00 से 36689000.00
होटल 4/H-1 (GEN)	1	3558.30	120243.00	42786100.00
सामुदायिक केन्द्र (GEN) S-4	1	1038.00	53680.00	5572000.00
नर्सिंग होम 2A/NH-2 (GEN) 14/NH-2 (Corner) (GEN)	1 1	1026.00 से 866.25	81984.00 से 90182.00	8411600.00 से 7812100.00
हैल्थ सेन्टर Sec-1 (GEN) 3/HC (GEN)	2	3432.75 से 5232.52	81497.00 से 81984.00	28143100.00 से 42643500.00

सम्पत्तियों की संख्या एवं आरक्षण श्रेणी	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु.) प्र.व.मी.	टोकन धनरशि (रु.)
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद : (आवासीय सम्पत्तियाँ)				
F-60 भूतल (GEN)	16बी/223, 236, 237, 240	98.68 से 218.35	6166600.00 से 12715000.00	308400.00 से 635800.00
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद सेक्टर–15 शिखर एन्कलेव (आवासीय सम्पत्तियां)				
2BHK (6th-9th Floor) (GEN) 3BHK (9th Floor) (GEN)	11 1	106.21 से 144.48	7086000.00 से 9638500.00	354300.00 से 481925.00
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद सेक्टर–4सी दुर्बल आय वर्ग (आवासीय सम्पत्तियाँ)				
F-37 (GEN)	1 (द्वितीय) 3 (तृतीय)	37.00	1760092.00 से 1820559.00	88010.00 से 91030.00
सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद : अनावासीय सम्पत्तियाँ				
नर्सिंग होम 9/NH-1 (GEN)	1	3090.11	63336.00	19571600.00
कन्वेंस शॉप	1	2034.85	84448.00	17184000.00
व्यावसायिक भूखण्ड 10/COM-1 (GEN), 7C/COM-8 (GEN), COM-9 (GEN), COM-10 (GEN),COM-11 (GEN), COM-12 (GEN), COM-13 (GEN), COM-20 (GEN), COM-21 (GEN), COM-22 (GEN), COM-23 (GEN), COM-24 (GEN),COM-25 (GEN)	13	440.00 से 1470.00	84448.00 से 92893.00	3715800.00 से 13655300.00
पेट्रोल पम्प (लीज पर)10/F.S.	1	1043.28	84448.00	8810300.00
ग्रुप हाउसिंग भूख-3 G.H.-3 (C) (GEN)	1	16001.51	69673.00	111487400.00
3 G.H.-6 (GEN)	1	2852.46	63336.00	81402400.00
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड				
ग्रुप हाउसिंग (GEN) 1B/GH-11, GH-16, GH-17, GH-30, GH-31	5	2400.00 से 3060.00	38640.00 से 42504.00	9273600.00 से 13006250.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड 1B/GH-21	1	2400.00	38640.00	9273600.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (GEN) 1B/GH-5, GH-12, GH-13, GH-14, GH-18, GH-24, GH-25, GH-28	8	2400.00 से 3060.00	38640.00 से 42504.00	9273600.00 से 13006250.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (GEN) 1B/GH -6, GH-7, GH-8, GH-9, GH-15, GH-19, GH-20, GH-22, GH-23, GH-27, GH-29, GH-32	12	2400.00 से 3180.00	38640.00 से 42504.00	9273600.00 से 13516300.00
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : व्यावसायिक भूखण्ड				
व्यावसायिक भूखण्ड (GEN) 1B/COM-14, COM-16, COM-25, COM-29, COM-31	5	892.50 से 2432.00	51520.00 से 56672.00	4598160.00 से 13782650.00
व्यावसायिक भूखण्ड (GEN) 1B/COM-13, COM-15, COM-17 COM-24, COM-26	5	892.50 से 2380.00	51520.00	4598160.00 से 12261800.00
व्यवसायिक भूखण्ड (GEN) 1B/COM-1, COM-18, COM-19, COM-20, COM-21, COM-22, COM-23, COM-27, COM-28, COM-30	10	892.50 से 4252.83	51520.00 से 56672.00	4598160.00 से 24101640.00
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : छोटे व्यावसायिक भूखण्ड				
व्यावसायिक भूखण्ड 4A/COM-1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37	31	48.00 से 83.50	51520.00 से 56672.00	257600.00 से 430192.00
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : दुकानें				
व्यावसायिक दुकानें 4A/S-1(SC), 5S-1(SC) 5S-2(OBC), 5S-3(GEN)	4	12.42 से 16.54	.....	146100.00 से 172800.00
व्यावसायिक हॉल 4A/H-1(GEN), A/H-2 (OBC), 5/H-1 (GEN)	3	62.92 से 96.09	.....	416500.00 से 575100.00

नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें (1) व्यावसायिक सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्डों में एफ.ए.आर. एवं सम्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (2) सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को अनावसीय सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य की टोकन धनराशि उपरोक्तानुसार एवं कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तद्नुसार बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा पे–आर्डर जो कि संबंधित शहर के पक्ष में देय हो आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं, सील्ड बिड कार्यालय दिवस में नीलामी से एक दिन पूर्व तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में दी जा सकती है। टोकन नीलामी तिथि को प्रातः 10.00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या/क्षेत्रफल में कमी वृद्धि हो सकती है। (3) व्यावसायिक भूखण्डों में आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा उ.प्र. सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नीलामी से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। (4) आवासीय सम्पत्ति के आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके पति/पत्नी/अवयस्क बच्चों के पास कोई भवन/भूखण्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा 50 प्रतिशत धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से दिया जायेगा। नीलामी पुस्तिका रु. 100.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवास आयुक्त महोदय को बिना कोई कारण बताये बोली अस्वीकृत करने का अधिकार होगा एवं किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त (मो) का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट : आवंटित सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य पर आवेदक को शासनादेश के अनुसार आयकर/जी.एस.टी. अलग से भुगतान करना होगा। (2) सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात् नियमानुसार कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। सम्पत्ति जहाँ है जैसे है के आधार पर आवंटित की जायेगी। (3) आवंटन सम्बन्धी आवेदन पत्र आवंटन/नीलामी की निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व तक सील्ड बिड निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में प्राप्त की जायेगी।

नोट : शीघ्र ही 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत परिषद की रिक्त सम्पत्तियों को लेने हेतु HDFC Bank के माध्यम से ऋण मेला का आयोजन सेक्टर–16, आफिस काम्पलेक्स वसुंधरा, गाजियाबाद में प्रातः 11 बजे किया जायेगा। मेले में इच्छुक आवेदकों द्वारा भाग लिया जा सकता है।

विशेष सूचना : परिषद के आवंटियों/ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को ''परिषद दिवस'' का आयोजन जोनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10:00 से 12:30 तक किया जाता है। अवकाश की दशा में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्य दिवस में होगा।

आवास आयुक्त

परिषद से सम्बन्धित समस्या हमसे कहें

जन सुविधा केन्द्र
परिषद से समस्या के निराकरण हेतु डायल करें
1800-180-5333 (टोल फ्री) **0522-2236803**

IS 15700:2005 संशोधन प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website :http://www.upavp.com, E-mail: info@upavp.com